न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 49/2019 **दायरा दिनांक : 02.07.2019**

उनवान

1– भेरी बाई बेवा रामलाल आयु 57 साल, जाति भील, निवासी भंवरासा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राजस्थान)
2– राजूलाल आत्मज स्व. रामलाल, आयु 34 साल
3– बालमुकन्द आत्मज स्व. रामलाल, आयु 31 साल
4– दिनेश कुमार आत्मज स्व. रामलाल, आयु 27 साल
5– ममता बाई पुत्री स्व. रामलाल, आयु 29 साल
6– अनिता बाई पुत्री स्व. रामलाल, आयु 22 साल
7– कृष्णा बाई आत्मज स्व. रामलाल, आयु 18 साल, जाति भील, अकवाम भील, सकनाय भंवरासा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1– मांगीलाल आत्मज प्रभूलाल, जाति भील
2– मोड सिंह आत्मज प्रभूलाल, जाति भील
3– परवार सिंह आत्मज प्रभूलाल, जाति भील
4– मोरध्वज आत्मज प्रभूलाल, जाति भील
5– पूरीलाल आत्मज गिरधारी, जाति भील
6– गोपाल आत्मज गिरधारी, जाति भील
7– सत्यनारायण आत्मज गिरधारी, जाति भील, निवासीयान ग्राम भवंरासा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
8– सज्जन बाई बेवा गिरधारी, जाति भील, निवासीयान ग्राम भवंरासा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़
9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील झालरापाटरन
10– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी, जिला झालावाड़ एस.डी.एम. झालावाड़) बाबत राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 12 अधिसूचना 07.04.2017

.... रेस्पोंडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सी.पी.खण्डेलवाल व अभितोषाचार्य अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संजय कुमार सक्सैना अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 ल0 3 व 5 ल0 8 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 25.10.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 284/2018 निर्णय दिनांक 23.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 91, 88, 89, 53, 54, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर एक प्रार्थना पत्र आर्डर 39 रूल 1 व 2 तथा धारा 151 जा. दी. तथा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि मुताबिक जमाबंदी ग्राम भंवरासा, पटवार मण्डल गिरधरपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड की आराजी मुताबिक संवत 2072–2075 खाता संख्या 176 पुरानो 166 की खसरा नम्बर 537/960 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा माल सोयम व खसरा नम्बर 539/960 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल दो किता कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा आराजियात खातेदारान अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 के खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में अप्रार्थी नं. 1 लगायत 8 के नाम पर शामलातो

खातेदारी में दर्ज हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 23.05.2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली, संग्रह–सार एवं विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.05.2018 की रोशनी में अपीलांट प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को राजस्व लोक अदालत के संग अभियान ग्राम गिरधपुरा केम्प में प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। इस अपीलांट अप्रार्थीगण व रेस्पोडेंट की अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

4 ग्राम भंवरासा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ की मुताबिक संवत 2072 से 2075 खाता संख्या 176 की खसरा नम्बर 537/960 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 539/960 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल दो किता कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा आराजी स्थित है। जो कि वर्तमान में रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 8 के नाम खातेदारी में दर्ज है। हाल खसरा नं. 537 का पुराना खसरा नम्बर 372 अंकित था व खसरा नम्बर 539 का पुराना खसरा नम्बर 414 नम्बर था। उक्त आराजियात अपीलांट के पति व स्व0 रामलाल के पिता किशनलाल व उसके भाई गोरिया के रही है। किशनलाल व गोरिया के पास उक्त आराजियात के अलावा ग्राम भंवरासा के भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खाता सं. 88 संवत 2030 से 2049 के खसरा नम्बर 536, 538, 614, 615, 616, 657, 788, 814, 815 के कुल किता 9 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा आराजियात रही है।

5 विवादग्रस्त खसरा नम्बर 537/960 पर अपीलांट वादीगंण के पितामह किशनलाल का नाम सहवन से खातेदारी में दर्ज नहीं हुआ था और केवल मात्र उनके भाई गोरिया आत्मज नन्दा का नाम खाते में दर्ज हो गया था। उक्त तथ्य की जानकारी किशनलाल जी को उनके जीवनकाल में उनके अशिक्षित रहने के कारण नहीं हो पाई लेकिन दोनों भाइयों के द्वारा आपस में सभी आराजियात पर आधे आधे भाग पर अपना बाहमी बंटवारा करवाकर कब्जा काश्त करते रहे, किशनलाल की मृत्यु के बाद अपीलांट के पति व पिता स्व0 रामलाल काश्त करते रहे उनको जब उक्त गलती का पता चला कि उनके पिता व रामलाल के नाम खातेदारी में दर्ज नहीं है तो उन्होंने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के समक्ष दिनांक 16.02.2004 को एक घोषणा खातेदारी अधिकार व बंटवारे के लिए दावा किया जिसमें तत्कालीन प्रतिवादी व इस अपील के रेस्पोडेंट के पिता द्वारा स्वीकारात्मक वास्तविक जवाब दावा प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2006 को दावा डिक्री कर प्रारम्भिक डिक्री हुआ।

6 दिनांक 16.06.2006 की फाईनल डिक्री के द्वारा कुल 16 बीघा 11 बिस्वा आराजियात के 1/2 भाग पर अपीलांट के पति व पिता स्व0 रामलाल को खातेदार कृषक घोषित किया। अपीलांट के पति व पिता स्व0 रामलाल की गलती के कारण उक्त खसरा नम्बर 537, 539 के आधे भाग पर खातेदारी में दर्ज करवाने का दावा उक्त वाद में करने से रह गया। जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 537/960 व 539/960 वर्तमान में रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 8 के नाम खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान में उक्त दोनों नम्बर आधे भाग पर अपीलांट का कब्जा काश्त है और आधे भाग पर रेस्पोडेंट का है।

7 राजस्थान सरकार की सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना का.आ. 1119 (अ) तारीख 07.04.2017 से उक्त विवादग्रस्त आराजियात का खसरा नम्बर 537/960 का 0.0654 हेक्टर भूमि को वर्तमान में रेस्पोडेंट 1 लगायत 9 के नाम पर दर्ज है को अवाप्त करने हेतु रेस्पोडेंट नम्बर 10 के कार्यालय से जारी की गई तब उक्त खातेदारान अपीलांट का अथवा अपीलांट के पिता का नाम खाते में दर्ज नहीं होना पाया। उक्त नाम को नहीं देखकर अपीलांट ने हल्का पटवारी से उक्त खाते की नकल प्राप्त की और उनसे अपीलांट का नाम दर्ज नहीं होने का कारण पूछा तो उन्होंने सदैव से ही नाम नहीं होना बताया, तब अपीलांट द्वारा पूर्व वाद की नकल निकलवायी गई तो यह ज्ञात हुआ कि अपीलांट के पिता से तत्कालीन वाद प्रस्तुत किये गये दावे में नहीं था, असल प्रमाणित प्रतियां पूर्ववर्ती वाद में सादर सलंग्न है।

8 मूल वाद वर्तमान जो कि उपखण्ड अधिकारी के समक्ष लम्बित है उक्त प्रकरण वास्ते तनकियात निर्माण दिनांक 09.07.2019 हेतु नियत है। दिनांक 24.06.2019 को अपीलांट द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन पत्र की जानकारी लेने पर यह ज्ञात हुआ कि दिनांक 23.05.2018 राजस्व लोक अदालत के संग अभियान ग्राम गिरधरपुरा केम्प में अपीलांट की अनुपस्थिति बताते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया और उक्त नकल दिनांक 25.06.2019 को प्राप्त हुई जिसका अध्ययन कर बिना किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। उक्त अपील को मियाद में लेने हेतु मियाद प्रार्थना पत्र अलग से सलंग्न है। इस अपीलांट व रेस्पोडेंट की अनुपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के खारिजी के निर्णय का लाभ लेने के लिए रेस्पोडेंट 1 लगायत 8 रेस्पोडेंट नं. 10 से अनुचित तरीके से विवादग्रस्त आराजी ग्राम भंवरासा खसरा नम्बर 537/960 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा की 0.0654 हेक्टर भूमि का मुआवजा जो कि लाखो रूपयों में है उसको प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं जबकि उक्त आराजियात विगत 60–70 सालों से अपीलांट प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में है और उक्त आराजी पर अपीलांट के पति व पिता तथा दादा जी व उनके पिताजी के जमाने से काबिज है।

9 अपीलांट द्वारा खातेदारी अधिकार में लेने के लिए वाद उपखण्ड अधिकारी के समक्ष लम्बित है जो कि वर्तमान में तनकियात निर्धारण में ओर आगामी तारीख 09.07.2019 है। रेस्पोडेंट प्रतिपक्षी नं. 10 राजस्व कर्मचारी से सांठ–गांठ करके उपरोक्त आराजी मुआवजा जो कि लाखो रूपयों में है उसको प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेने पर उतारू है। जिसका कि वर्तमान में कोई हक एवं अधिकार निहित नहीं है तथा वैसे भी कानूनी स्थिति इस प्रकार है कि जब विवादित आराजीयात में खातेदारी अधिकारों का विषय विवादित हो तो प्रकरण के निर्णय तक मुआवजा के वितरण तक विधि सम्मत रोक लगाई जावे। इस कारण से न्यायहित में स्थगन आदेश जारी किया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलांट का प्रकरण प्राईमाफेसी एवं सुदृढ़ है एवं सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में है तथा वर्तमान उपरोक्त आराजी उसके ही कब्जे काश्त में स्थित है, यदि उसे उक्त आराजी मुआवजा जो कि लाखो रूपयों में हैं का वितरण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 8 को कर दिया गया तो उसे अपार आर्थिक क्षति होगी और व्यर्थ की मुकदमेंबाजी में जेरकार होना पड़ेगा।

10 अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदन पत्र को निर्णित करने के सभी विधिक बिन्दुओं का अतिक्रमण किया है और सरसरी तौर पर आवेदन पत्र को खारिज किया गया है जो कि आदेश खारिज होने योग्य है कि अपीलांट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने योग्य प्रकरण है। अप्रार्थी कम 5 धापू फोत हो चुकी है उसके कायम मुकाम प्रतिवादी 1 से 4 रेकार्ड पर है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड का निर्णय दिनांक 23.05.2018 अपास्त की जावे। अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 8 व रेस्पोडेंट नं. 10 को आदेशित किया जावे कि ताफैसला मूल वाद विवादग्रस्त आराजी ग्राम भंवरासा खसरा नम्बर 537/960 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा की 0.0654 हेक्टर भूमि का मुआवजा जो कि लाखो रूपयों में है वह राशि सुरक्षित रखी जावे उक्त राशि का वितरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जावे।

11 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.06.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

12 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

13 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि ग्राम भंवरासा, तहसील झालरापाटन खसरा नम्बर 537/960 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 539/960 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा कुल दो किता कुल रकबा 7 बीघा 18 बिस्वा आराजी रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 8 के खाते दर्ज है। उक्त आराजी के मामले में अपीलांट ने अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी अपीलांट के पिता व पति रामलाल के पिता किशनलाल व उनके भाई गोरिया के खाते की रही है। किशनलाल व गोरिया के पास अन्य खसरा नम्बर की 16 बीघा 11 बिस्वा आराजी भी खाते रही है। सहवन से विवादित आराजी खसरा नम्बर 537/960 एवं खसरा नम्बर 539/960 की आराजी पर किशनलाल व गोरिया का नाम भी 1/2 हिस्सा पर आना चाहिए। क्योंकि कब्जा अपीलांट का आधे हिस्से पर चला आ रहा है। खसरा नम्बर 537/960 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा की 0.0654 हेक्टर भूमि का मुआवजा रेस्पोडेंट खातेदार होने के कारण अवैधानिक रूप से प्राप्त करने को तत्पर है। अवैधानिक इन्द्राज से रेस्पोडेंट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता, हिस्से के बारे में निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय को करना है जो मूल वाद में तय होगा। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.05.2018 को प्रकरण अपीलांट व रेस्पोडेंट की सहमति के बिना केम्प कोर्ट में रख लिया, पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए, पत्रावली बहस पर होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान की अनुपस्थिति में बहस बंद कर दी और प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण कर, प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जबकि लोक अदालत के नियम के तहत केम्प कोर्ट में उन्हीं प्रकरणों को रखा जाना चाहिए जिनमें दोनों पक्ष राजीनामा/निर्णय हेतु लिखित में प्रार्थना पत्र पेश करें। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत केम्प कोर्ट पर उभयपक्षकारान की अनुपस्थिति में प्रकरण में बहस बन्द कर प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर निर्णय कर खारिज कर दिया, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, निर्णय की तारीफ में नहीं आता एवं पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही व किसी तरह की फाईडिंग दिये बिना ही निर्णय जेर अपील पारित किया है, जो खारिज होने योग्य है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जेर अपील खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जावे तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे कि वह दोनों पक्षकारों की बहस सुनकर धारा 212 आर.टी.ए. के प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे एवं अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

14 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

15 बहस अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनने, प्रस्तुत अपील, लिखित बहस अपीलांट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत एक दावा अन्तर्गत धारा 91, 88, 89, 53, 54, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, दुरूस्ती रेकार्ड एवं बंटवारा बाबत वादग्रस्त आराजियात अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। मूल वाद के साथ वादी अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी नम्बर 11 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 537/960 की अवाप्त की गई 0.0654 हेक्टर आराजी की मुआवजा राशि अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी न करें, न अन्य से करावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प गिरधरपुरा में प्रार्थी अपीलांट का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र उभयपक्ष की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए अपने आदेश दिनांक 23.05.2018 से खारिज कर दिया।

ऑर्डरशीट के अनुसार इससे पूर्व पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 02.05.2018 को नियत थी। पत्रावली में कैम्प कोर्ट की सूचना हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी होना नहीं पाया गया। बिना नोटिस जारी किये पक्षकारान की अनुपस्थिति दर्ज कर कैम्प कोर्ट में दिनांक 23.05.2018 को किया गया आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

16 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2018 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में दिनांक 14.12.2023 को उपस्थित होवे।

17 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/10/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा